

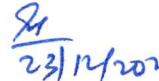
भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जिला सागर के अंतर्गत बरौदा जलाशय सिंचाई योजना के निर्माण हेतु वनमंडल दक्षिण सागर के वन परिक्षेत्र ढाना के वन खण्ड कड़ता के कक्ष क्रमांक RF 810 रकबा 16.00 हे० एवं PF 814 रकबा 05.06 हे० इस प्रकार कुल रकबा 21.06 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, सागर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	---

तिथि :-23 / 12 / 2021

स्थान :- भोपाल


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal